



स्थापित - 2016

राजकीय महिला महाविद्यालय बदायूँ (उ.प्र.)

(सम्बद्ध - महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली)

रुहेलखण्ड
बरेली

दीक्षारम्भ कार्यक्रम

सत्र 2025-2026

महाविद्यालय - एक झलक

डॉ० कृषभ भारद्वाज
असिस्टेण्ट प्रोफेसर- भौतिक विज्ञान

कुलगीत

राजकीय महिला महाविद्यालय
जय हो सदा जय! जय! हो सदा।
उत्तर में रामगंगा, दक्षिण में गंगा
बहे,
श्रद्धा, सत्य, संयम का संगम है
ये।
प्रेम और शान्ति, सद्भावना से
बदायूँ की माटी पर शोभित है ये
॥1॥

संस्कृति की धरती ये, संस्कृत की
नगरी है
साहित्य और दर्शन से सुरभित है ये।
शिक्षा, अहिंसा, करुणा का दीप
हम सब जलाने मिलकर चले॥2॥

सर्वधर्म समभाव, एकता का मन्त्र
लिये,
नारियों की शक्ति का अभिमान है।
राजकीय महिला महाविद्यालय
ज्ञान-विज्ञान से अनुपम रहे॥3॥
राजकीय महिला महाविद्यालय
जय हो सदा जय! जय! हो सदा॥

रचना एवं स्वर
डॉ० ऋषभ भारदवाज
असि० प्रोफेसर- भौतिक
विज्ञान

संकल्पना (Vision)

महाविद्यालय ऐसे शैक्षणिक वातावरण की परिकल्पना करता है जो स्वच्छता, सतत् विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण बने। हमारा उद्देश्य एक स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरित परिसर की स्थापना करना है जहां शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को प्राथमिकता दी जाये। महाविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों के गुणवत्तापूर्ण संचालन के साथ छात्राओं के समग्र विकास के लिए इड संकल्पित है। महाविद्यालय छात्राओं को ज्ञान, कौशल, राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से सशक्त बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं जिससे छात्राएँ “मिशन शक्ति” की सार्थकता को पूर्ण करते हुए उच्चतम राष्ट्रीय व सामाजिक लक्ष्यों को पूर्ण कर स्वयं के

उद्देश्य (Mission)

महाविद्यालय का उद्देश्य है, छात्राओं को-

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना
2. नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करना
3. अनुसंधान तथा नवाचार हेतु सतत् प्रयत्नशील होने के लिए प्रेरित करना
4. संस्कृति, साहित्य एवं भाषा मूल्यों के संवर्धन करने हेतु संकल्पित होना
5. सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने हेतु सशक्त बनाने की प्रेरणा देना
6. कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिये प्रोत्साहित करना
7. विश्लेषणात्मक सोच, संवाद कौशल और उद्यमिता जैसे गुणों को

महाविद्यालय परिसर की जानकारी

कक्षा कक्षों की संख्या: 08

स्मार्ट क्लास : 02

प्रयोगशालाएँ : रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति
विज्ञान,

प्राणि विज्ञान, गृह विज्ञान
पुस्तकालय : 1 एवं विभागीय पुस्तकालय

खेल परिसर

खेल का मैदान: 1

- अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध
- व्यायाम हेतु ट्रेड मिल उपलब्ध

भू तल

प्रथम तल

द्वितीय तल

तृतीय तल

महाविद्यालय परिसर की

जानकारी

स्मार्ट क्लास, कक्ष सं० 2, 3, रसायन विज्ञान
प्रयोगशाला, प्रसाधन, कार्यालय, प्राचार्य कक्ष

कक्ष सं० 5, 6, 7, 8, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला,
प्रसाधन

स्मार्ट क्लास, कक्ष सं० 9, 10, वनस्पति विज्ञान
प्रयोगशाला

गृह विज्ञान प्रयोगशाला, प्राणि विज्ञान प्रयोगशाला,
पुस्तकालय

छात्राओं और प्राद्यापकों की संख्या

~1400

कुल छात्राएँ

07

कुल प्राद्यापक

05

कार्यालय एवं प्रयोगशाला
स्टाफ

छात्राओं का महाविद्यालय -वेश



महाविद्यालय की वेबसाइट

<https://www.gmdcbadaun.com>

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

NSS इकाई सक्रिय : 01

स्वयंसेविकाओं की संख्या : 100

एकदिवसीय शिविर : 04

सप्तदिवसीय विशेष शिविर : 01

पंजीकरण शुल्क : 5 रु



वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण

वृक्षारोपण अभियान: 600+ पौधे लगाए गए प्रतिवर्ष

पर्यावरण जागरूकता: नियमित कार्यक्रम

प्लास्टिक फ्री कैम्पस: छात्राओं की सक्रिय भागीदारी



वार्षिक क्रीडा समारोह

- शतरंज
- बैडमिण्टन
- कैरम
- भाला फेंक
- चक्का फेंक
- गोला फेंक
- ऊँची कूद
- लम्बी कूद



वार्षिक क्रीडा समारोह



वार्षिकोत्सव - युवा महोत्सव 'रम्य'

- समस्त विभागीय परिषद प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण
- वर्ष भर में महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण



वार्षिकोत्सव - युवा महोत्सव 'रम्य'



सड़क सुरक्षा सप्ताह और मतदाता जागरूकता अभियान

सड़क सुरक्षा सप्ताह

- यातायात नियमों पर कार्यशालाएँ
- जागरूकता रैलियाँ



मतदाता जागरूकता

- मतदान के महत्व पर शिक्षा
- लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा



हिन्दी दिवस और भाषा उत्सव

हिन्दी दिवस

दिनांक: 14 सितंबर

- निबंध, कविता पाठ, और भाषण प्रतियोगिताएँ

भाषा उत्सव

- स्थानीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन
- बहुभाषावाद को प्रोत्साहन



राजकीय महिला महाविद्यालय बदायूँ में चल रहे भारतीय भाषा उत्सव
के अन्तर्गत “भाषा प्रदर्शनी स्टाल

ऐप्टी रैगिंग सम्बन्धी निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ प्रमुख निर्देश:-

- महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है और यह एक दण्डनीय अपराध है।
- महाविद्यालय में किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, धमकी, आक्रामक भाषा का प्रयोग व अशोभनीय व्यवहार करना
आदि रैगिंग के अन्तर्गत आता है।
- जाति सूचक शब्द का प्रयोग व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना रैगिंग की श्रेणी में आता है।
- रैगिंग में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रा का निष्कासन, प्रवेश निरस्तीकरण और विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- रैगिंग की शिकायत गुप्त रूप से शिकायत निवारण पेटी में, ऐंटी रैगिंग समिति, अथवा प्राचार्य को की जा सकती है।
- रैगिंग से जुड़ी किसी भी घटना को अनदेखा करना भी अपराध है।
- महाविद्यालय परिसर में छात्राओं का परस्पर मित्रवत् और सहयोगात्मक व्यवहार अपेक्षित है।



ধন্যবাদ